

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 47/18

हुकमचन्द बनाम रामबीर

06.04.2018

प्रार्थी गय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट. के किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी वकील के द्वारा आज अप्रार्थीगण की तलबाने की रजिस्टर्ड रसीद पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तु पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक में प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी आगामी पेशी दिनांक 16/05/18 अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 156/0.06 के ग्राम तुर्कवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर की डोल को अप्रार्थी मिसमार ना असल अप्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 157/3 वाके ग्राम तुर्कवास में जब्रन कब्जा करे, ना ही प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करे, बेदखल करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16/05/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम  
(अलवर)

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फर्निचर का आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदालत में दिनांक: 7.5.18 को पेश हो।

एन डी ओ/ सैबर

पत्रावली पेश की गई है। प्रार्थी वकील के द्वारा आज अप्रार्थीगण की तलबाने की रजिस्टर्ड रसीद पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तु पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक में प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी  
(अलवर)